न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 99 /2019 (Bank Case)

"एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. महावीर मेघवाल पुत्र श्री मांगीलाल (ऋणी / बंधककर्ता)
   पताः– 31, तलाब के पास का मोहल्ला, पोलाई खुर्द, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज0)
   दुसरा पता– खसरा नम्बर 463, ग्राम पोलाईखुर्द, एमएन नं. 02, संकल्प नं. 02, तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान
2. श्रीमति गिरीराज बाई मेघवाल पत्नि श्री महावीर मेघवाल
   पता– पोलाईकलां कोटा राजस्थान 325203

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एंक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 01.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 10.09.2016 को 6,00,000/– (अक्षरेः छः लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आबादी भूमि रजिस्टर्ड पट्टा संख्या 15156 दिनांक 5.2.2014 जो ग्राम पंचायत पोलाई कलां द्वारा जारीसुदा है, जिसका माप 1116 वर्गफीट है, जिसके खसरा नम्बर 463 ग्राम पोलाई खुर्द, एमएन नं0 02, संकल्प नं0 2, तहसील दीगोद में स्थित है, जो महावीर मेघवाल पुत्र मांगीलाल के नाम से है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 30.04.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 5,83,049/– (अक्षरे रूपये पांच लाख, तिरांसी हजार, उन्चास मात्र) बकाया रकम दिनांक 20.05.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 20.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 20.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आबादी भूमि रजिस्टर्ड पट्टा संख्या 15156 दिनांक 5.2.2014 जो ग्राम पंचायत पोलाई कलां द्वारा जारीसुदा है, जिसका माप 1116 वर्गफीट है, जिसके खसरा नम्बर 463 ग्राम पोलाई खुर्द, एमएन नं0 02, संकल्प नं0 2, तहसील दीगोद में स्थित है, जो महावीर मेघवाल पुत्र मांगीलाल के नाम से है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner